अनुक्रम खाता

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी निग -1461- II-16

मानसिंह पुत्र फौदलिया वेडिया निवासी ग्राम बल्हैरा तह. कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

––– आवेदक

विरूद्ध

1. देवानन्द पुत्र श्री रमेश चन्द्र भार्गव निवासी पाण्डेय मोहल्ला वार्ड क. 13 कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन

––– अनावेदकगण

द्वारा आज दि 10-5-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र.क. 08/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

10.5.16

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम बल्हैरा तह. कोलारस में मंदिर श्री ब्रजभल्लव वर्तमान में शासकीय मंदिर है जिससे लगी हुई भूमि सर्वे क्र. 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 682 एवं 683 कुल किता 17 कुल रकवा 9.72 है. आज से करीब 80–90 वर्ष पूर्व ग्राम वासियों ने मिल कर एक सामूहित निजी मंदिर अपनी धार्मिक भावना से श्री ब्रजवल्लभ भगवान का बनाया गया। उस मंदिर की सेवा पूजा के लिये अपनी सामर्थ अर्थात आस्था अनुसार कृषि भूमि मंदिर को लगा दी गई। उस समय ग्राम बल्हैरा जागीरी प्रथा में था आजादी के बाद वर्तमान भू–राजस्व के लागू होने के बाद शासकीय अभिलेख में कलेक्टर जिला शिवपुरी को व्यवस्थापक लिख दिया गया। जिसके प्रभाव से उपरोक्त मंदिर की व्यवस्था में ही केवल कलेक्टर महो. का नाम लिखा हुआ है। उन्हें तथा शासन को उपरोक्त मंदिर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–1461–दो/16 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ एवं अना0 क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः उसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। अनावेदक को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। निगरानी आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	